उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या–75 / सैंतीस–2–2021–30(93) / 2005
लखनऊ :: दिनांक 10 जनवरी, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती राज्यों यथा–राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं इनसे लगे हुए पंजाब राज्य में पक्षियों में एवियन इन्फ्लूएन्जा (बर्ड फ्लू) के संक्रमण की स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में बर्ड फ्लू बीमारी के नियंत्रण हेतु पर्याप्त निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तत्क्रम में पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के **अध्याय–2–अनुसूचित रोगों का नियंत्रण,** अन्तर्गत अधिनियम की धारा 6. उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा संदर्भित अधिनियम की अनुसूची (च).9. एवियन रोग अन्तर्गत एवियन इन्फ्लूएन्जा (बर्ड फ्लू) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को **"नियंत्रित क्षेत्र"** के रूप में एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है।

आज्ञा से,

भुवनेश कुमार
प्रमुख सचिव, पशुधन
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: 75(1) / सैतीस–2–2021–30(93) / 2005, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, परिवर्हन, उत्तर प्रदेश शासन।
9. महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, वन विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
16. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव, पशुधन
उत्तर प्रदेश शासन।